संख्या 5827/ टी0आर0 / स्पीडगर्वनर / 2017 दिनांक 22.09.2017

विज्ञप्ति

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–118 के उपनियम (2) के अधीन राज्य में सचांलित व्यवसायिक वाहनों में गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति) लगाया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से पूर्व पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहन, जिनमें गति नियंत्रक नहीं लगा है और जिन्हें केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–118 (1) के अर्न्तगत छूट भी प्राप्त नहीं है, पर गति नियंत्रक लगाना अनिवार्य है। ऐसे व्यवसायिक वाहनों पर गति नियंत्रक लगाये जाने हेतु विनिर्माताओं एंव उनके अधिकृत विक्रेताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदको हेतु नियम एवं शर्ते परिवहन विभाग की वेबसाईट transport.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

22.9.17

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

स्पीड गर्वनर स्थापित करने हेतु नियम एवं शर्ते

केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–118 के उपनियम (2) के अधीन राज्य में सचांलित व्यवसायिक वाहनों में गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति) लगाया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से पूर्व पंजीकृत सभी व्यवसायिक वाहन, जिनमें गति नियंत्रक नहीं लगा है और जिन्हें केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–118 (1) के अर्न्तगत छूट भी प्राप्त नहीं है, पर गति नियंत्रक लगाना अनिवार्य है। ऐसे व्यवसायिक वाहनों पर गति नियंत्रक लगाये जाने हेतु विनिर्माताओं एंव उनके अधिकृत विक्रेताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। स्पीड गर्वनर स्थापित करने हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत् है:–

1–गति नियंत्रक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित गति नियंत्रक (A.I.S :018/2001 मानक के अनुसार) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–126 में विर्निर्दिष्ट किसी एक प्राधिकृत ऐजेन्सी से अनुमोदित होना अनिवार्य है।

2–उक्त गति नियंत्रक के लिए विनिर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता के पास केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम–126 के अधीन प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा निर्गत वैध नवीतम C.O.P प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।

3–उक्त गति नियंत्रक विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता का वैट/जी.एस.टी में पंजीकरण अनिवार्य है।

4–गति नियत्रंक विर्निमाता/अधिकृत विक्रेता को जिस परिवहन यान में गति नियत्रंक लगाया जाएगा, उसे इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि गति नियंत्रक विनिर्माता के पास उसके द्वारा विनिर्मित वाहन के प्रत्येक मॉडल के लिए गतिनियत्रंक उपलब्ध है।

5– गति नियंत्रक विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता को उत्तराखण्ड में डीलर नेटवर्क/सर्विस नेटवर्क का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

6– गति नियत्रंक विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता को अपने गति नियत्रंक के लिए प्राधिकृत ऐजेन्सी द्वारा गति नियत्रंकों के अनुमोदन सहित मॉडलवार सूची का विवरण, निम्न सूचनाओं के अंकन सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा–

(क)–विनिर्माता का प्रतीक/ट्रेडमार्क

(ख)–विनिर्माता द्वारा प्रदत्त क्रमिक संख्या

(ग)–ऐजेन्सी द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित A.I.S :037/2004 के अनुसार छः अक्षरों में प्रदर्शित आंवटित टाईप एप्रूवल वर्ण संख्या सूचक सन्दर्भ अंक चिन्ह।

7–वाहनों पर लगने वाले गति नियंत्रक पर 80 किमी प्रति घन्टा की गति पूर्व निर्धारित होगी, परन्तु परिसंकटमय माल यान, डम्पर, टैंकर, स्कूल बस, सिटी बस पर अधिकतम 60 किमी प्रतिघन्टा की निर्धारित गति वाले गति नियंत्रक लगाये जाएंगें।

8–जिन वाहनों पर गति नियंत्रक लगाये जाऐगें, उन वाहनों के विंड स्क्रीन के सामने भीतर बांई ओर सफेद रंग से ''गति नियंत्रक लगा हुआ है'' अंकित किया जाएगा।

9–गति नियंत्रक को सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा सील किया जाएगा।

10–गति नियंत्रक पर किसी प्रकार की छेड़ छाड़ करने अथवा गति नियंत्रक लगा हुआ न पाये जाने पर वाहन स्वामी/चालक के विरूद्व मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–56, 86 एंव 184 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने वाले गति नियंत्रक विनिर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन्हैं अनुमति देनें पर विचार किया जाएगा।